Seventeenth Loksabha

>

Title : Request to provide 5-10 lakh Rupees to the family who lost their member during COVID.

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): धन्यवाद सभापति महोदय । मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान कोरोना काल में हुई लाखों लोगों की मृत्यु से उनके आश्रितों की विकट स्थिति की तरफ ध्यान आकर्षित चाहता हूँ ।

महोदय, कोरोना के कारण जो मौतें हुईं हैं, उनमें से अधिकतर आकंड़े न तो राज्यों के पास हैं और न ही केंद्र के पास हैं । क्योंकि, किसी मृतक की कोरोना जाँच होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई । किसी की रिपोर्ट तो नेगेटिव आई, परन्तु उसकी मौत कोरोना से ही हुई है । ऐसे में जो स्थिति बनी है, वह बहुत ही विकट है ।

महोदय, अब मैं राजस्थान की बात करूंगा । आपके माध्यम से राजस्थान के मामले की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए यह बताना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार ने 3200 महिलाओं की मौत को कोरोना से माना, उसके बावजूद उनके परिवार के लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया । मात्र 8882 पुरुषों की मौत पर उनके परजिनों को मुआवजा दिया गया है ।

ऐसे में महिला मृतकों के आश्रितों को अनदेखा किया जा रहा है, इस पर केन्द्र को ध्यान देने की आवश्यकता है । जबकि वास्तव में यह आंकड़ा चार गुना है । देश की सरकार के आंकड़ों के अनुसार अभी तक 5,00,055 से अधिक लोगों की मृत्यु इसकी वजह से हुई है । मगर वास्तविकता बहुत अधिक है और सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि ऐसे प्रत्येक पीड़ित परिवार की मदद करे ।

महोदय, मेरी यह मांग है कि कोरोना की वजह से हजारों परिवार उजड़ गए और लाखों लोग हमारे बीच से दुनिया को छोड़कर चले गए हैं ।...(व्यवधान) ऐसे परिवारों और मृतकों की वास्तविक संख्या के आकलन के लिए सरकार एक

नीति बनाए, ताकि कोरोना के कारण जिनकी मौत के रिकॉर्ड में किसी न किसी वजह से कोरोना नहीं दर्शाया गया है, उन्हें भी आर्थिक संबल मिल सके । केन्द्र ऐसे मामलों में मृतक आश्रितों को 50,000 रुपये के स्थान पर कम से कम 5 से 10 लाख रुपये की राशि सहायता के रूप में दे, ताकि ऐसे परिवारों को मदद मिल सके ।